



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 अग्रहायण 1944 (श०)

(सं० पटना 1055) पटना, सोमवार, 5 दिसम्बर, 2022

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

26 अक्टूबर, 2022

एस० ओ० 486, दिनांक 5 दिसम्बर, 2022—बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग अधिनियम, 1996 (अधिनियम, 1997) के धारा 4 के उप धारा 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल उक्त अधिनियम के धारा 4 के उप धारा 2 एवं 3 में किये प्रावधानों के अनुसार बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का गठन निम्नलिखित तरिके से किया गया है।

(1)	डॉ चक्रपाणि हिमांशु, ग्राम—श्री रामपुर, पोर्ट+थाना, अकबर नगर, प्रखण्ड—सुलतानगंज, जिला—भागलपुर	—	अध्यक्ष
(2)	श्री राजीव कांत मिश्रा, भीखनपुर, गुमटी नं०-३, भागलपुर	—	उपाध्यक्ष
	बिहार विधान मंडल के मनोनीत सदस्य		
(3)	श्री अच्युत ऋषिदेव, रानीगंज	—	सदस्य, बिहार विधान सभा
(4)	श्रीमती रेखा देवी, मसौढ़ी	—	सदस्या, बिहार विधान सभा
(5)	श्री आनंद शंकर सिंह, औरंगाबाद	—	सदस्य, बिहार विधान सभा
(6)	श्री सौरभ कुमार,	—	सदस्य, बिहार विधान परिषद्
(7)	श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह	—	सदस्य, बिहार विधान परिषद्

विभिन्न हितों/वर्गों के प्रतिनिधिगण		
(8)	अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि,	— सदस्य (नियोजक के प्रतिनिधि के रूप में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि)
(9)	श्री गजनपर नवाब, बिहार स्टेट कमिटि, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, कॉन्फ्रेस, पटना।	— सदस्य (श्रमिक संघ के प्रतिनिधि)
(10)	श्री राफे एजाज हुसैन, सेभ द चिल्ड्रेन	— सदस्य (बाल श्रमिक के कल्याण में लगे गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि)
(11)	श्री आनंदी मेहता, ग्राम+पोस्ट-शारदा नगर वार्ड नं०-२०, सहरसा	— सदस्य (अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधि)
(12)	श्री शाहिद जमाल, टाउन थाना चौक, हाजीपुर टाउन वैशाली-८४४१०१	— सदस्य (अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधि)
पदेन सदस्य		
(13)	श्रमायुक्त, बिहार, पटना	— सदस्य
(14)	निदेशक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना।	— सदस्य
(15)	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना।	— सदस्य
(16)	संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना।	— सदस्य
(17)	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना।	— सदस्य
(18)	मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना।	— सदस्य
(19)	निदेशक, समाज कल्याण, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना।	— सदस्य
(20)	निदेशक, जन शिक्षा, बिहार, पटना।	— सदस्य
(21)	निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।	— सदस्य
(22)	निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना।	— सदस्य
2. आयोग का मुख्यालय पटना में रहेगा।		
3. आयोग के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/मनोनीत सदस्यों की पदावधि, प्रभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष तक के लिए होगी।		
4. आयोग ‘बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग’ अधिनियम, 1996 की धारा 7 में उल्लेखित कार्यों का निष्पादन करेगा। आयोग अपने कार्यों से संबंधित प्रतिवेदन अधिनियम की धारा 12 के अनुसार सरकार को देगी।		
(सं० १/सी०एल०सी०-१०१९/९९ (खंड) श०सं०-४१७५) बिहार-राज्यपाल के आदेश से गजेन्द्र कुमार मिश्रा, सरकार के संयुक्त सचिव।		

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,**  
**बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।**  
**बिहार गजट (असाधारण) 1055-571+200-डी०टी०पी०।**  
**Website: <http://egazette.bih.nic.in>**